-180

संख्या 173 /XXX(2)/2013-3(1)2012

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 20 फरवरी, 2013

विषय:- अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों को पुर्ननियुक्ति अथवा अनुबंधात्मक रूप से तैनाती प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 50/भा.स./47-का-4-93-15/95/93 दिनांक 24 जनवरी, 1994 सपठित शासनादेश संख्या 1/12/97-का-4-1997 दिनांक 17 नवम्बर, 1997 द्वारा अधिवर्षता आयु (तत्समय 58 वर्ष प्रवृत्त थी) पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को विशिष्ट विधिक ज्ञान के एवं वैज्ञानिक पद पर अपरिहार्य स्थिति में 62 वर्ष की आयु तक के लिए अनुबन्धात्मक रूप से तैनाती दिये जाने की व्यवस्था की गई थी।

2- राज्याधीन सेवाओं में नियुक्त सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष हो जाने के परिणामस्वरूप उक्त शासनादेशों द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए 62 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा प्रासांगिक नहीं रह गयी है। राज्य गठन के बाद विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत अनुभवी कार्मिकों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने से शासकीय कार्यो के निष्पादन में अनुभवी कार्मिकों की कमी हो गयी है। सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्पष्ट नीति न होने के कारण राज्य सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों में पृथक-पृथक मानदण्ड अपनाया जाना भी संज्ञान में आया है।

3- अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सरकारी विभागों, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं, राज्याधीन सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों, स्थानीय निकायों तथा परिषदों में सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन के प्रस्तावों पर विचार किये जाने हेतु निम्नवत निर्णय लिये गये हैं:-

(एक) पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन विधिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक एवं ऐसी प्रकृत्ति के पदों जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण एवं दक्षता की आवश्यकता हो, पर उसी दशा में की जायेगी जबकि सम्बन्धित पद हेतु प्रयास के बाद भी उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो पा रहा हो और जनहित में तैनाती किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया हो।

(दो) पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन विभागीय संरचनात्मक ढांचे के स्वीकृत पदों के पदनाम से तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों के साथ प्रदान नहीं की जायेगी। तैनाती हेतु नियुक्त होने वाले अधिकारी की विभाग में उपादेयता के दृष्टिगत विभागीय संरचनात्मक ढांचे में स्वीकृत पदनाम से भिन्न पदनाम यथा सलाहकार/परामर्शी, विशेष कार्याधिकारी, विशेषज्ञ, समन्वयक आदि नामों से निःसंवर्गीय पद अतिरिक्त रूप से सृजित करते हुए की जायेगी। इस निमित्त संरचनात्मक ढांचे के पदों को आरथगित नहीं रखा जायेगा।

(तीन) सेवानिवृत्त कार्मिक की पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन के प्रस्ताव पर विचार करते समय सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की पूर्व सेवा की स्थिति का भली-भांति परीक्षण करके औचित्य के साथ वित्त विभाग तथा कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त करके मुख्य सचिव एवं मा. विभागीय मंत्री के माध्यम से मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही नियुक्ति की जायेगी।

(चार) सेवानिवृत्त कार्मिक की पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन के प्रस्ताव पर विचार करते समय कार्मिक के सम्बन्धित पद/सेवा के लिए उपयोगिता, उसका अच्छा स्वास्थ्य तथा उसकी सत्यनिष्ठा का ध्यान रखा जायेगा।

(पॉच) पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजित सेवकों के लिए अधिकतम आयु सामान्यतः 65 वर्ष होगी। परन्तु ऐसे कार्य जिनमें विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता हो और जिनके पदों के सापेक्ष प्रयास के उपरान्त भी उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध नही हो पा रहे हो तो सेवानिवृत्त कार्मिको जिनकी आयु 65 से अधिक हो गई हो तथा उनका स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता शासकीय कार्यो के अनुकूल हो तो विशेष परिस्थितियों में विभागीय आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की संस्तुति पर अधिकतम आयु की सीमा में छूट दिये जाने में विचार किया जा सकता है।

(छः) कार्यालय कक्ष, स्टॉफ एवं वाहन सुविधा के सम्बन्ध में विद्यमान स्थिति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकेगा।

(सात) संविदा पर नियोजित सेवकों को शासकीय आवास अनुमन्य नहीं होगा।

(आठ) नियुक्त कार्मिक द्वारा तैनाती के दौरान कदाचारपूर्ण कार्य किया जाता है अथवा अपने कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा नियंत्रक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि तैनात कार्मिक अपनी अस्वस्थता के कारण अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु काफी समय तक अयोग्य रहेगा, तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैनात कार्मिक की तैनाती बिना कोई पूर्व सूचना दिए तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी। संविदा पर नियुक्त कार्मिक सेवा का त्याग करना चाहे तो वह सक्षम प्राधिकारी को एक माह का लिखित नोटिस देकर अथवा एक माह के नोटिस के बदले एक माह के वेतन के समतुल्य राशि अथवा उस अवधि के लिए जितनी एक माह का नोटिस दिए जाने के उपरान्त एक माह की अवधि से कम हो, उसके वेतन के बराबर धनराशि सरकार/सक्षम प्राधिकारी को वापस करते हुए तैनाती का त्याग किया जा सकेगा।

(नौ) पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजित सेवकों को वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, यात्रा भत्ते तथा अन्य शर्तें वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 319/XXVii-7/2012 दिनांकः 21 नवम्बर, 2012 के अनुसार होगी।

(दस) संविदा पर नियोजित सेवकों के साथ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त संगत प्रतिबन्धों को सम्मिलित करते हुए एक स्पष्ट अनुबन्ध-पत्र संलग्न प्रारूप पर निष्पादित किया जायेगा।

4- कृपया सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

इस विषय में पूर्व में शासनादेश जारी संख्याः 128/XXX(2)/2004 दिनांकः 08 जुलाई, 2004 उक्त सीमा तक संशोधित/अतिकमित समझा जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त,

भवदीय,

Alok Jain

(आलोक कुमार जैन)

मुख्य सचिव।

संख्या 173 (i) /XXX(2)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त कुमायूं/गढवाल, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक एवं सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त विभागीय वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)

अपर सचिव।

अनुबन्ध

यह सबको ज्ञात हो कि यद्यपि यह अनुबन्ध, जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है, उत्तराखण्ड के राज्यपाल की ओर से सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष अथवा सचिव के साथ किये गये अनुबन्ध के रूप में है, किन्तु यह नियुक्ति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गयी है। इसके लिए नियुक्त कार्मिक अनुबन्ध आधारित अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में पूर्णतः उक्त सरकार के आदेशों के अधीन रहेगा।

अतः यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री.............................पुत्र श्री.....................................पता... है, जिसे इसमें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में उत्तराखण्ड के राज्यपाल, जिसे इसमें द्वितीय पक्ष कहा गया है, के बीच आज दिनांक.......................... को निष्पादित किया गया।

चूँकि सरकार द्वारा प्रथम पक्ष को नियुक्त किया गया है और प्रथम पक्ष इसमें एतद्पश्चात् अन्तर्विष्ट शर्तों और निबन्धनों पर उत्तराखण्ड सरकार में अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त होने/सेवा के लिए सहमत हो गया है।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है और दोनों पक्ष पृथक-पृथक निम्नानुसार सहमत हो गये हैं कि:-

1. प्रथम पक्ष, सरकार तथा अधिकारियों और प्राधिकारियों के, जिनके अधीन उसे सरकार द्वारा समय-समय पर रखा जायेगा, आदेशों का पालन करेगा और इसमें यहाँ अन्तर्विष्ट प्राविधानों के अधीन रहते हुए वर्ष.................... के..................महिने के दिनांक.......................से ....वर्ष के ....महिने के दिनांक .... तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर ....विभाग के अन्तर्गत...पद पर नियोजित रहेगा।

2. प्रथम पक्ष, अपना सम्पूर्ण समय अपने पदीय कार्यों के लिए देगा और सदैव भारत के किसी भी भाग में लोक सेवा की शाखा को विनियमित करने के लिए सरकारी सेवक की आचरण नियमावली सहित समय-समय पर विहित नियमों का अनुपालन करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे समनुदेशित किये जॉय।

3. प्रथम पक्ष की सेवा निम्नानुसार समाप्त की जा सकेगी :-

(1) सरकार अथवा सक्षम प्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा उसे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय, यदि सरकार/सक्षम प्राधिकारी की राय में प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध के अधीन रहते हुए सेवा के दौरान अपने कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया गया हो।

(2) सरकार अथवा सक्षम प्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर सरकार/सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रथम पक्ष अस्वस्थ है और अस्वस्थता के कारण उत्तराखण्ड में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए काफी समय तक उसके अयोग्य रहने की सम्भावना है ;

परन्तु सदैव यह कि सरकार/सक्षम प्राधिकारी का यह विनिश्चय कि प्रथम पक्ष के अस्वस्थ रहने की सम्भावना है, निश्चायक होगा और प्रथम पक्ष पर बाध्यकारी होगा।

(3) सरकार अथवा सक्षम प्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि प्रथम पक्ष इस विलेख के किसी प्राविधान अथवा लोक सेवा की जिस शाखा का वह सदस्य रहा है, उसके किसी नियम की अवज्ञा, असंयम या कदाचार का दोषी पाया गया हो।

(4) इस अनुबन्ध के अधीन सेवाकाल के दौरान किसी भी समय प्रथम पक्ष के द्वारा सरकार को अथवा सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रथम पक्ष को बिना कोई कारण बताए एक माह की लिखित सूचना द्वारा;

परन्तु, सदैव यह कि यहाँ उपबन्धित किसी पूर्व सूचना के बदले सरकार द्वारा प्रथम पक्ष को अथवा प्रथम पक्ष द्वारा सरकार को उसके एक महीने के नियत पारिश्रमिक के समतुल्य राशि अथवा उस अवधि के लिए जितनी कि एक माह की लिखित पूर्व सूचना देने के उपरान्त एक माह की अवधि से कम हो, उसके नियत पारिश्रमिक के बराबर धनराशि दी जायगी।

इस खण्ड के प्रयोजन हेतु नियत पारिश्रमिक शब्द से तात्पर्य उस धनराशि से है जो कि सेवानिवृत्त कार्मिक को अनुबन्ध पर नियोजित किए जाने हेतु उसका नियत पारिश्रमिक इस अनुबन्ध की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार किये गये करार द्वारा नियत किया जाय।

4. यदि प्रथम पक्ष अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी समय इस अनुबन्ध के खण्ड 3 के उपखण्ड (3) में उल्लिखित कदाचार अथवा किसी आपराधिक कृत्य का प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक उपबन्धों के अनुसार अनुशासनिक/विधिक कार्यवाही की जायेगी।

5. इस अनुबन्ध मे उल्लिखित पद पर नियुक्त/नियोजित प्रथम पक्ष को शासनादेश संख्या- 319/XXVii-7/2012 दिनांकः 21 नवम्बर, 2012 के अनुसार नियत पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

6. अनुबन्ध पर नियुक्त व्यक्ति कलेण्डर वर्ष में चौदह दिन के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार के अवकाश अथवा अवकाश नियत पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

7. यदि प्रथम पक्ष द्वारा लोक सेवा के हित में यात्रा करना अपेक्षित है तो सेवानिवृत्ति की प्रास्थिति पर उसकी वास्तविक अनुमन्यता के अनुसार यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

8. कार्यालय कक्ष, स्टॉफ एवं वाहन सुविधा के सम्बन्ध में सरकार अथवा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विद्यमान स्थिति एवं कर्त्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यकता के दृष्टिगत जो सुविधाएं अनुमन्य की जायेंगी, वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

9. इसमे इससे पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम पक्ष, जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया जाये, पूर्णतः अथवा अंशतः लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा जैसा कि इस विलेख के दिनांक के पश्चात् सरकार द्वारा लोक सेवा की शाखा/सेवा के सदस्यों की, जिसका कि वह सदस्य रहा है, सेवा शर्तों और निबन्धनों में प्राधिकृत किया जाय तथा प्रथम पक्ष की सेवा शर्तों और निबन्धनों में ऐसे सुधार के सम्बन्ध में सरकार का विनिश्चय इस विलेख के उपबन्धों को उस सीमा तक संशोधित करने के लिए प्रवृत्त होगा।

10. किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस अनुबन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली तथा उसके अधीन बनाये गये अन्य नियम अथवा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये या अनुच्छेद 313 में अन्तर्विष्ट समझे गये नियम, उस सीमा तक लागू होंगे जो प्रथम पक्ष की तैनाती से पूर्व उनसे सम्बन्धित मूल सेवा संवर्ग के सदस्यों पर लागू हैं और उनके लागू होने के सम्बन्ध में सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

इसके साक्ष्य स्वरुप में प्रथम पक्ष.................................तथा उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से उत्तराखण्ड सरकार के.................................विभाग में सक्षम प्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये गये।

निम्नांकित की उपस्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये गये :-

प्रथम पक्ष (नाम, पता सहित)	साक्षी (नाम, पता सहित)
....	....
....	....

निम्नांकित की उपस्थिति में उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से उत्तराखण्ड सरकार के ....विभाग में सक्षम प्राधिकारी द्वितीय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये गये:-

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से/द्वितीय पक्ष (नाम, पता सहित)	साक्षी (नाम, पता सहित)
....	....